छत्तीसगढ़ विधान सभा

दिसम्बर, 2011 सत्र

दैनिक कार्य सूची

शुक्रवार, दिनांक 23 दिसम्बर, 2011 (पौष 2, 1933)

समय 11:00 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकत: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 (क्रमांक 23 सन् 2011) की धारा 9 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक एफ 3-2/2011/1-6, दिनांक 14 दिसम्बर, 2011 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी (आवेदन, अपील तथा परिव्यय का भुगतान) नियम, 2011 पटल पर रखेंगे.

(2) डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (क्रमांक 22 सन् 2005) की धारा 29 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक 2-10/2008/1- सूअप्र, दिनांक 7 अक्टूबर, 2009 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानआकर्षण

(1) श्री देवजी पटेल, सदस्य, प्रदेश में गृह निर्माण सामग्रियों के मूल्यों में वृद्धि होने की ओर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री संतोष बाफना, सदस्य, दक्षिण बस्तर क्षेत्र में मलेरिया से लोगों की मौत होने की ओर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) श्री नंद कुमार पटेल, सदस्य, रायगढ़ जिले में इंदिरा आवास योजना में व्याप्त अनियमितता की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) सर्वश्री रामदयाल उइके, धर्मजीत सिंह, सदस्य, जिला कोरबा के ग्राम कोनकोना की एक आदिवासी नाबालिग लड़की के साथ अनाचार किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(5) श्री नंद कुमार पटेल, डॉ. शक्राजीत नायक, सदस्य, जशपुर जिले के बगीचा विकासखण्ड अंतर्गत ग्राम बेलवार निवासी द्वारा आत्महत्या किये जाने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(6) श्री नंद कुमार पटेल, सदस्य, रायगढ़ जिले के खरसिया क्षेत्र में बीज एवं खाद खरीदी में अनियमितता किये जाने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(7) डॉ. शक्राजीत नायक, सर्वश्री मोहम्मद अकबर, रविन्द्र चौबे, सदस्य, प्रदेश में वन्य प्राणियों का अवैध शिकार किये जाने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(8) श्री देवजी पटेल, सदस्य, औद्योगिक क्षेत्र, उरला, सिलतरा, भनपुरी, रावांभाठा में बंद कारखानों की भूमि को वापस न लिये जाने की ओर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

क्रमश:......2

(9) श्री देवजी पटेल, सदस्य, राजीव गांधी शिक्षा मिशन अंतर्गत रेडियो से अंग्रेजी पढ़ाने / सिखाने की योजना में व्याप्त अनियमितता की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(10) श्री देवजी पटेल,सदस्य, रायपुर शहर में सड़क निर्माण कार्य में गुणवत्ताहीन सामग्री का उपयोग किये जाने की ओर नगरीय प्रशासन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(11) श्री मोहम्मद अकबर, सदस्य, जिला कबीरधाम में एन.जी.ओ. तथा अन्य संस्थाओं द्वारा शासकीय राशि का दुरूपयोग किये जाने की ओर आदिम जाति विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(12) सर्वश्री मोहम्मद अकबर, रामदयाल उइके, श्रीमती पद्मा घनश्याम मनहर, सदस्य, प्रदेश में चिट-फंड कम्पनियों द्वारा जनता के साथ धोखाधड़ी किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(13) श्री गुरू रूद्रकुमार, सदस्य, बस्तर क्षेत्र में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत् प्राप्त राशि का उपयोग न किये जाने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(14) श्री सौरभ सिंह, सदस्य, कोरबा जिले में एन.टी.पी.सी. द्वारा जमनीपाली में संचालित पावर प्लांट से उत्सर्जित राख से पानी प्रदूषित होने की ओर आवास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(15) श्री नंद कुमार पटेल, सदस्य, रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ में भारत एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड (बालको) द्वारा आदिवासियों की जमीन क्रय किये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(16) डॉ. शक्राजीत नायक, सदस्य, बस्तर जिले में एस्सार कम्पनी के ठेकेदार एवं अधिकारी द्वारा नक्सलियों को आर्थिक सहायता दिये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(17) श्री मोहम्मद अकबर, सदस्य, रायपुर शहर के सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड के सार्वजनिक वितरण प्रणाली की उचित मूल्य की दुकान में व्याप्त अनियमितता की ओर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(18) सर्वश्री रविन्द्र चौबे, कुलदीप सिंह जुनेजा, सदस्य, जिला-रायपुर, तहसील-अभनपुर, ग्राम भेलवाडीह की छात्रा की हत्या किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(19) श्री हृदयराम राठिया, सदस्य, छत्तीसगढ़ कृषि एवं बीज विकास निगम लिमिटेड द्वारा नमी मापक यंत्र खरीदी में अनियमितता किये जाने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(20) श्री देवजी पटेल, सदस्य, औद्योगिक क्षेत्र उरला, सिलतरा, बोरझरा के उद्योगों से प्रदूषण फैलने की ओर आवास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(21) श्री भोलाराम साहू, सदस्य, राजनांदगांव जिले में निर्माणाधीन सूखानाला बैराज परियोजना में व्याप्त अनियमितता की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(22) सर्वश्री देवजी पटेल, कुलदीप सिंह जुनेजा, धर्मजीत सिंह, सदस्य, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा कृषि भूमि पर विद्युत टॉवर लगाये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(23) श्री टी.एस. सिंहदेव, सदस्य, सरगुजा जिले के अंबिकापुर शहर के सड़क चौड़ीकरण कार्य में अनियमितता किये जाने की ओर नगरीय प्रशासन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(24) श्री देवजी पटेल, सदस्य, निजी इंजीनियरिंग कॉलेज के दोषी संचालकों के विरूद्ध कार्यवाही न किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(25) सर्वश्री रामजी भारती, भजन सिंह निरंकारी, सदस्य, जिला राजनांदगांव के गौरव ग्राम घुमका में शराब दुकान बंद न किये जाने की ओर वाणिज्यिक कर मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

क्रमशः 3

(26) श्री रविन्द्र चौबे, सदस्य, प्रदेश में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिजन की उपचार के अभाव में मौत होने की ओर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(27) डॉ. हरिदास भारद्वाज, सदस्य, महासमुंद जिले के पिथौरा विकासखण्ड अंतर्गत ग्रामीण सेवा सहकारी समिति आरंगी में ऋण राशि में अनियमितता किये जाने की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(28) श्री देवजी पटेल, सदस्य, स्वास्थ्य विभाग में दवाईयां खरीदी करने में अनियमितता किये जाने की ओर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(29) श्री नंद कुमार पटेल, डॉ. शक्राजीत नायक, श्री मोहम्मद अकबर, सदस्य, प्रदेश में अंधत्व निवारण हेतु मोतियाबिंद ऑपरेशन से अनेक मरीजों की मौत होने की ओर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) डॉ. शिव कुमार डहरिया, सदस्य, जिला रायपुर अंतर्गत -

(i) विकासखण्ड कसडोल के ग्राम बड़गांव से चरौदा पहुंच मार्ग में नाले पर पुल निर्माण करने,

(ii) ग्राम टुण्डरी में पूर्व माध्यमिक शाला में अहाता निर्माण करने,

(iii) ग्राम ढेबी में पूर्व माध्यमिक शाला को हाई स्कूल में उन्नयन करने,

(iv) ग्राम आमगांव (बार) में पूर्व माध्यमिक शाला को हाई स्कूल में उन्नयन करने,

(2) श्री विरेन्द्र कुमार साहू, सदस्य, गुण्डरदेही विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम परसतराई में हाई स्कूल खोलने,

(3) श्री रामदेव राम, सदस्य, जिला सरगुजा अंतर्गत -

(i) ग्राम पर्री एवं परसोढ़ी के मध्य घुनघुट्टा नदी में पुल निर्माण करने,

(ii) बनारस मुख्य मार्ग से ग्राम बड़नीझरिया तक पक्की सड़क निर्माण करने,

(iii) ग्राम पटकुरा से घटोन तक पक्की सड़क निर्माण करने,

(iv) ग्राम ढोढ़ाकेसरा से डांडकेसरा तक पक्की सड़क निर्माण करने,

(4) श्री देवजी पटेल, सदस्य, विकासखण्ड तिल्दा अंतर्गत ग्राम कुम्हारी (जारा) में हाई स्कूल खोलने,

(5) श्री दूजराम बौद्ध, सदस्य, पामगढ़ विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत -

(i) ग्राम कोड़ाभाट में हाई स्कूल खोलने,

(ii) ग्राम बोरसी में प्री मैट्रिक छात्रावास खोलने,

(iii) ग्राम केसला में हाई स्कूल खोलने,

(iv) ग्राम सिल्ली में हाई स्कूल खोलने

(6) श्रीमती लक्ष्मी बघेल, सदस्य, बलौदा बाजार विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत -

(i) ग्राम खिलौरा में हाई स्कूल खोलने तथा

(ii) ग्राम रसेड़ा से मेढ़ खपरी तक पुल-पुलिया सहित डामरीकरण करने

के संबंध में याचिकायें प्रस्तुत करेंगे.

5. प्रतिवेदनों को प्रस्तुत करने की अवधि में वृद्धि करने का प्रस्ताव

(1) श्रीमती नीलिमा सिंह टेकाम,सभापति, महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति, प्रस्ताव करेंगी कि :- ग्राम हथबंध, जिला रायपुर स्थित गुरूकुल बाल आश्रम से एक बच्ची को बेचे जाने के संबंध में महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति को संदर्भित प्रकरण पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक की वृद्धि की जाये.

(2) श्री बद्रीधर दीवान, सभापति, सदस्य सुविधा एवं सम्मान समिति, प्रस्ताव करेंगे कि : - दिनांक 18 से 21 मार्च, 2010 तक बिलासपुर के विश्राम गृह एवं अन्य स्थानों पर ठहरने की व्यवस्था के दौरान शासन के निर्देशों, शिष्टाचार क्रम के पालन संबंधी कार्यवाही पर, सदस्य सुविधा एवं सम्मान समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक की वृद्धि की जाये.

(3) श्री नारायण चन्देल, सभापति, सदन की जांच समिति प्रस्ताव करेंगे कि - रोगदा जलाशय को हस्तांतरित करने और इससे संबद्ध विषयों पर जांच हेतु गठित सदन की समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक की वृद्धि की जाये.

6. अशासकीय संकल्प

निर्धारित समय

30 मिनट (1) डॉ. हरिदास भारद्वाज, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

यह सदन केन्द्र सरकार से अनुरोध करता है कि ''रायपुर रेल्वे स्टेशन से विधान सभा होते हुए नई राजधानी रायपुर को मेट्रो रेल लाइन से जोड़ा जाय.''

30 मिनट (2) श्री राजकमल सिंघानिया, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

यह सदन केन्द्र सरकार से अनुरोध करता है कि ''रायपुर जिले के बलौदाबाजार, पलारी, लवन, कसडोल, भटगांव, बिलाईगढ़, सरसींवा, रायगढ़ होते हुए झारसुगुड़ा तक रेल लाइन बनायी जाय.''

45 मिनट (3) डॉ. हरिदास भारद्वाज, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

यह सदन केन्द्र सरकार से अनुरोध करता है कि ''भारतीय संविधान के अनुच्छेद क्रमांक 341 के अनुक्रमांक 36 में महार, मेहरा, मेहर के बाद महरा शामिल किया जाय.''

45 मिनट (4) सर्वश्री रामदेव राम, जगेश्वर राम भगत, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

सदन का यह मत है कि ''सरगुजा जिले के कुसमी, सामरी, धौरपुर, लुण्ड्रा क्षेत्र में नगेशिया / किसान जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाय.''

7. नियम 139 के अधीन अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

1 घंटा30 मिनट (1) प्रदेश में सीमेंट सहित भवन निर्माण सामग्रियों के मूल्य में अत्यधिक वृद्धि से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री देवजी पटेल, सदस्य, चर्चा उठायेंगे.

1 घंटा30 मिनट (2) प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में उचित मुआवजा एवं व्यवस्था न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री नंद कुमार पटेल, सदस्य, चर्चा उठायेंगे.

रायपुर

दिनांक 22 दिसम्बर,2011

देवेन्द्र वर्मा
सचिव.